न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00072

गायत्री बाई पुत्री चतुर्भुज पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा निवासी रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. जुगराज पुत्र श्री चतुर्भुज
2. जोधराज पुत्र श्री चतुर्भुज
3. रूपकुमार पुत्र श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी कोलना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. विद्या बाई पुत्री श्री चतुर्भुज पत्नी ओम प्रकाश जाति मीणा निवासी बडसुई तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. शम्भूदयाल पुत्र श्री सूरजमल ।
6. ग्यारसी बाई बेवा श्री सूरजमल जाति मीणा निवासीगण कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. भीमराज पुत्र श्री सूरजमल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. बनास उर्फ अभिषेक नाबालिग जरिये वली माता संजूबाई ।
   7/2. संजूबाई बेवा भीमराज जाति मीणा निवासी कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री एस0एस0 यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री गोपाल दत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 03.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोलाना तहसील पीपल्दा में कुल 09 किता की रकबा 8.30 हैक्टर भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की है । उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो विरासत में भैरूलाल जी से प्राप्त हुई है । पक्षकारान मीणा जाति से है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । वे पुराने हिन्दू लॉ से शासित होते हैं । मीणा जाति में पुरूष वारिस होने पर पुत्री व विधवा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । भैरूलाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके पुत्र सूरजमल, चतुर्भुज व पुत्री भूरी बाई का नाम दर्ज हुआ भूरी बाई की मृत्यु हो चुकी है तथा चतुर्भुज जी व सूरजमल की मृत्यु हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी में चतुर्भुज के वारिसान वादीगण का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादीगण कम 3 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा है । इसी प्रकार वे अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा अवैध रूप से दर्ज कर दिया जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं । वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्से की घोषणा करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादीगण कम 3 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद वादीगण डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट से राजीनामे पर हस्ताक्षर इसलिए किये थे कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा बताया गया था कि उनके खाते में नाम यथावत रखा जावेगा । उक्त अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने केसीसी के लिए दिनांक 02.03.2020 को आवेदन करने के लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करनी चाही तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया जिस पर दिनांक 03.03.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 08.03.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । वादीगण ने अपीलान्ट का नाम हटाने के लिए दावा दायर किया । दावे में राजीनामा हुआ कि अपीलान्ट का नाम खाते में यथावत रहेगा और इसी आधार पर अपीलान्ट ने राजीनामे पर हस्ताक्षर किये । निर्णय और डिक्री में अपीलान्ट का नाम हटाया गया है जो राजीनामे की भावना के विपरीत है । अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में अपीलान्ट का नाम हटाये जाने की प्रकिया अवैध है । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत में अपीलान्ट ने स्वयं ने राजीनामा किया है । राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अपील विलम्ब से पेश की गई है विलम्ब के समुचित कारण नहीं बताए हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । दावे में दिनांक 15.07.2015 को लोक अदालत में राजीनामा पेश किया गया है । राजीनामे के प्रपत्र का अवलोकन किया गया । राजीनामे के प्रपत्र में क्या राजीनामा हुआ यह अंकित नहीं किया गया है उसको खाली छोड दिया गया है । वादीगण की ओर से जुगराज, जोधराज, रूपकुमार प्रतिवादीगण की ओर से विद्याबाई, गायत्री बाई, शम्भूदयाल, संजूबाई और ग्यारसी बाई के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी हैं ।

11. परीक्षण न्यायालय में जो राजीनामा पेश किया गया है वो समस्त पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित है और पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे तस्दीक किया गया है । इस राजीनामे में राजीनामे के विवरण में पंक्तियॉ रिक्त हैं । अपीलान्टगण ने अपील में यह कथन किया है कि खाते से नाम हटाये जाने के बाबत् कोई बात नहीं हुई थी और खाते में नाम यथावत रखने के आधार पर ही अपीलान्ट ने हस्ताक्षर किये थे । इस क्रम में हमारा मत है कि परीक्षण न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है । राजीनामे के आधार पर निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि लोक अदालत में राजीनामे में अपीलान्ट का नाम हटाये जाने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं हुई थी तो ऐसी स्थिति में इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं परन्तु राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील पेश नहीं की जा सकती । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03/08/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00072

गायत्री बाई पुत्री चतुर्भुज पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा निवासी रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——**अपीलार्थी**

बनाम

1. जुगराज पुत्र श्री चतुर्भुज
2. जोधराज पुत्र श्री चतुर्भुज
3. रूपकुमार पुत्र श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी कोलना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. विद्या बाई पुत्री श्री चतुर्भुज पत्नी ओम प्रकाश जाति मीणा निवासी बडसुई तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. शम्भूदयाल पुत्र श्री सूरजमल ।
6. ग्यारसी बाई बेवा श्री सूरजमल जाति मीणा निवासीगण कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. भीमराज पुत्र श्री सूरजमल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. बनास उर्फ अभिषेक नाबालिग जरिये वली माता संजूबाई ।
   7/2. संजूबाई बेवा भीमराज जाति मीणा निवासी कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 444/दावा/2014

1. जुगराज पुत्र श्री चतुर्भुज
2. जोधराज पुत्र श्री चतुर्भुज
3. रूपकुमार पुत्र श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी कोलना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

——वादी

बनाम

1. विद्या बाई पुत्री श्री चतुर्भुज पत्नी ओम प्रकाश जाति मीणा निवासी बडसुई तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. गायत्री बाई पुत्री चतुर्भुज पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी रनोदिया ।
3. शम्भूदयाल पुत्र श्री सूरजमल ।
4. ग्यारसी बाई बेवा श्री सूरजमल जाति मीणा निवासीगण कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. भीमराज पुत्र श्री सूरजमल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. बनास उर्फ अभिषेक नाबालिग जरिये वली माता संजूबाई ।
   5/2. संजूबाई बेवा भीमराज जाति मीणा निवासी कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर , इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 03.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री एस0एस0 यादव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री गोपाल दत्त शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 03.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

3/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा